

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

नं० - 543/2025

वान : -

1 दीपक चाहर पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. सीता पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. रितीका चाहर पुत्री सुरेन्द्र पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी जोरावरपुरा त० रावतसर ।
4. सोनू चाहर पुत्री सुरेन्द्र पत्नी विजय कुमार जाति जाट निवासी जोरावरपुरा त० रावतसर ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।


प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 50/51 की कुल 2.625 है। मैं प्रतिवादी सं० 1 के साथ-साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

वादी दीपक चाहर को प्राप्त आराजी :- चक नं० 7 जीजीआर के प०न० 202/293 मु० 10 किलानं० 11,12,13,18/1.012 है०, प०न० 203/295 मु० 21 किलानं० 13/.253, 14.253, 15 /0.1265 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण कुल 1.6445 है० । इसी अनुसार चक 7 जीजीआर के खाता सं० 50/51 में प्रतिवादी सं० सुरेन्द्र का हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 16/01/26...मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



  
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) /  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़